

श्री संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी, सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-05.11.2024 को विभागीय अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :

- (i) मो० तारिक इकबाल, विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।
- (ii) श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।
- (iii) श्री सुनील कुमार, मुख्य अभियंता, यो०+अनु०+भूगर्भ, लघु जल संसाधन विभाग।
- (iv) मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना एवं मुजफ्फरपुर।
- (v) श्री सुभाष चन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग।
- (vi) अधीक्षण अभियंता, सभी लघु सिंचाई अंचल।
- (vii) कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल।
- (viii) श्री रंजीत मंडल, कार्यपालक अभियंता (मु०) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग।

2. RIDF अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में स्वीकृत जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इस योजना के तहत NABARD को प्रेषित किए गए PCR की अद्यतन स्थिति की समीक्षा लघु सिंचाई प्रमंडलवार की गई।
3. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि कतिपय लघु सिंचाई प्रमंडलों द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं से संबंधित समर्पित किए जा रहे PCR में प्रायः त्रुटियाँ पाई जा रही हैं, जिसके कारण विभाग द्वारा इसमें आवश्यक सुधार किए जाने हेतु संबंधित प्रमंडलों को PCR वापस किए जाते हैं, फलस्वरूप PCR समर्पित करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न हो रहा है, जो उचित नहीं है। उक्त आलोक में सभी लघु सिंचाई प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं संबंधित कैशियर/कर्मियों के साथ दिनांक-11.11.2024 को "जल भवन, पटना" के सभाकक्ष में उपस्थित होकर PCR समर्पित करना सुनिश्चित करें।

विभागीय पदाधिकारी श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ यथोचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव/अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

4. जल जीवन हरियाली योजना एवं हर खेत को पानी योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति से संबंधित portal updation की समीक्षा की गई। इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कई लघु सिंचाई प्रमंडलों द्वारा शत-प्रतिशत portal update नहीं किया गया है,

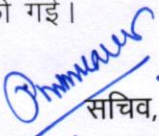
जिनमें औरंगाबाद-70%, बांका-6%, बेगूसराय एवं भागलपुर-67%, भोजपुर-72%, दरभंगा-88%, गया-57%, कैमूर-84%, मधुबनी-82%, मुंगेर-5%, नवादा-62%, पटना-30% एवं रोहतास-86%, हुआ है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि योजनाओं को पूर्ण कर एवं नियमानुसार राशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से संबंधित शत-प्रतिशत प्रतिवेदन portal पर अपलोड कर शीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, संबंधित लघु सिंचाई प्रमंडल)

- विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से अब तक लघु सिंचाई प्रमंडलों को आवंटित की गई राशि के डी०सी० विपत्र की समीक्षा की गई। इस हेतु विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मुखिया को आवंटित राशि का उनसे वाउचर प्राप्त कर समर्पित करना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई प्रमंडलों में काफी अधिक राशि का डी०सी० विपत्र लंबित है। कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि डी०सी० विपत्र संबंधित कोषागार को भेजे गए हैं। निदेश दिया गया कि मुखिया को आवंटित राशि का उनसे वाउचर प्राप्त किया जाए तथा प्रमंडल कार्यालयों द्वारा कोषागार को भेजे गए डी०सी० विपत्र के संबंध में संबंधित कोषागार/महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित कर डी०सी० विपत्र का समायोजन सुनिश्चित कराया जाए।

(अनुपालन-श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव/कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

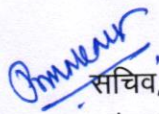
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


सचिव, 18.11.24

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक- 115/सचिव (कौ.) / ल०ज०सं०वि० / पटना, दिनांक- 18/11/24

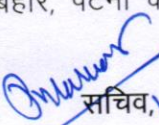
प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०), लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव, 18.11.24

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 115/सचिव (कौ.) / ल०ज०सं०वि० / पटना, दिनांक- 18/11/24

प्रतिलिपि-विशेष सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/संबंधित पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता (योजना+स्थापना)/प्रभारी नलकूप कोषांग/कार्यपालक अभियंता (मु०) अनुश्रवण/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव, 18.11.24

लघु जल संसाधन विभाग